(ख) से (ग) आयोग के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए खेतों से भिन्न किस्म के रोजगार सृजित किये जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रणी आधार पर बिहार के जिला सहरसा और उड़ीसा के जिला कालाहाण्डी में एक विशेष रोजगार सृजन योजना चालू की गयी है। सहरसा और कालाहाण्डी में प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर 1992-93 के दौरान यह कार्यक्रम 13 चुनिंदा जिलों में आरंभ किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम देश के 50 जिलों में लागू हो जाएगा। वर्ष 1992-93 के दौरान विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए चुने गये जिले निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	राज्य	जिला
1.	असम	मारगांव
2.	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद
3.	बिहार	सहरसा
4.	गुजरात	बनासकांठा
5.	हिमाचल प्र	चम्बा
6.	केरल	अल्लेप्पी
7.	मध्य प्रदे।	सरगुजा
8.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
9.	उड़ीसा	कालाहाण्डी
10.	राजस्थान	दौसा
11.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
12.	उत्तर प्रदेश	मऊ नाथ रंजन (मऊ)
13.	पश्चिमी बंगाल	बीरभूम

Cost and time over-run problem in PSUs

3018. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at least 168 public sector projects have run into serious cost and tme overrun problems durng the financial year 1992-93.

(b) if so, the details thereof project-wise;

(c) whether the revised project cost has exceeded the revised estimates;

(d) if so, what means Government have envisaged to finance the revised project cost; and

(e) what are the dates of completion of these public sector projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) and (e) As on 31.12.92, 165 public sector projects have reported cost overrun beyond their latest revised costs. Of these, 67 projects have registered cost increase of more than 50 per cent. The extent of cost overrun and their latest anticipated dates of completion is shown in the Annexure. (*See* Appendix CLXVI, Annexure No. 53)

(d) Goverment envisagr to finanne the revised project cost through increased budget support to the concerned Minstry or the latter's internal resources or extra-budgetary resources.

देश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

3019. **श्री मूलचन्द मीणा :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण इकाइयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन इकाइयों की रुग्णता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रुग्ण इकाइयों में लगे बहुत से इंजीनियरी और अन्य तकनीकी श्रेणियों के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इंजीनियरी और तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1991 के अंत में लघु क्षेत्र में 221472 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 1461 औद्योगिक एकक रुग्ण थे ।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक उपाय किए हैं । कुछ महत्वपूर्ण उपाय अनुबंध में दिए गए हैं । (**नीचे देखिए**)

(ग) इस प्रकार के आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) और (ङ) सरकार ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है । राष्ट्रीय नवीकरण निधि के उद्देश्य ये हैं :—

(क) आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा औद्योगिक पुनर्निर्माण के कारण कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति की लागत को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना ।

(ख) जहां आवश्यक हो वहां सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण अथवा बंद होने के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों के मुआवजे के लिए धन उपलब्ध कराना ।

(ग) औद्योगिक पुनर्निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाली श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना ।

विवरण

सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्जीवन के लिए किये गये उपाय

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 बनाया है । इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरु कर दिया है ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

(5) स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का विलय/एकीकरण करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित किया जाता है । सम्मिलित किए जा रहे रुग्ण एककंपके पूनरुज्जीवन के लिए सदस्य कंपनी को

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72(क) के अधीन कर के लाभ दिये जाते हैं ।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करेगा ।

(7) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनः-स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है ।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रु० तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है ।

(9) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रही है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000 रुपये तक की जाती है ।

(10) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है ।

Disproportionate increase in employment of SSIs

@3020 SHRI RAM JETHMALANI:

DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the constant increase in the number of Units of small scale industries during the last several years in the country, the number of workers employed therein is not increasing;

(b) if so, whether it is also a fact that despite an increase of 6.8 percent in the number of small scale units in 1991-92 as compared to that of in the year 1990-91, the number of workers employed therein has registerrd an increase of only 3 percent; and

(c) if so, whether Government propose to urge upon the respective Departments to take effective steps for encouraging the establishment of labour intensive industries in the country in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. Along with growth in number of units there has also been growth in the number of workers employed.

(b) Yes, Sir.

(c) Promotion of small scale industries is a State subject. State|UT Goverments have their own programmes for the development of small scale units. Particularly labour intensive small scale units. The Government of India also provides various types of concessions and incentives for encouraging establishment of small scale units.

@Previously Unstarred Question 2413, transferred from 15th March, 1993.